न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 59/2011

1. श्रीमति रतनी देवी पत्नी श्री गोविन्द गुर्जर निवासी ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. श्री त्रिलोकचन्द
2. श्री राजेन्द्र
3. श्री शान्ति लाल
   पुत्रगण श्री बिशनलाल, समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम जेठाना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर
4. श्रीमति ग्यारसी पत्नी श्री बिशनलाल जाति कुम्हार निवासी नलावाले बालाजी के पास कुचामन जिला नागौर
5. श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी श्री किशनलाल
6. श्रीमति नौरती पुत्री श्री किशनलाल
7. श्री दौलत पुत्र श्री किशनलाल
8. निर्मल पुत्री श्री किशनलाल
9. श्रीमति प्रेम पुत्री श्री किशनलाल
10. पुष्पा पुत्री श्री किशनलाल
    समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर
11. रतनी देवी पुत्री श्री रामदीन जाति कुम्हार निवासी जगपुरा की ढाणी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
12. राजस्थान सरकार

.....**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मृणाल शर्मा, वकील अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से।
3 श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 05.02.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर के राजस्व वाद संख्या 125/2006 अर्न्तगत धारा 53,88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2008 की

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अनुपालना में तहसीलदार पीसांगन द्वारा ग्राम जेठाना स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2098 रकबा 1.18, खसरा नम्बर 2099 रकबा 0.98, खसरा नम्बर 2100 रकबा 0.14 व खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.43 कुल किता 4 कुल रकबा 2.73 हैक्टर भूमि रतनी पत्नी श्री गोविन्द कौम गूजर साकिन माकडवाली 1/3 हिस्सा, ग्यारसी देवी पत्नी बिशनलाल, तिलोकचंद, राजेन्द्र शान्ति लाल पिता बिशनलाल कुम्हार 1/3 हिस्सा रतनीबाई पुत्री रामदीन कुम्हार 1/3 हिस्सा साकिन देह खातेदार के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 794 दिनांक 01.06.2010 को स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पीसांगन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 794 दिनांक 01.06.2010 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 ने मियाद के बिन्दू पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील बाद मियाद पेश की गई है अतः मियाद बाहर होने से ही निरस्त योग्य है। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 द्वारा प्रस्तुत तर्को का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट ने हमारा ध्यान धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 06.09.2011 को हुई है अतः जानकारी दिनांक से अपील को अन्दर मियाद मानकर मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे। हमने उभयपक्ष द्वारा निर्णित की जावे। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर ध्यानपूर्वक मनन किया। न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील मेरिट पर निर्णित करने का निश्चय किया गया। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 1002 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि के रेकार्डेड खातेदार श्री किशनलाल पुत्र श्री रामदीन से दिनांक 19.03.2007 को बहुमल्य प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की थी तथा क्रयशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त कर नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 21.07.2007 से अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गई तब से लेकर आज दिनांक तक अपीलान्ट अपनी क्रयशुदा भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त चली आ रही है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 लगायत 10 के पिता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1002 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा का सम्पूर्ण रकबा क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया गया था तथा उक्त क्रयशुदा भूमि पर अपीलान्ट क्रय दिनांक से आज तक लगातार काबिज काश्त चली आ रही है इसके आवजूद अपीलान्ट के पूर्ववर्ती नामान्तरकरण से नाम हटाकर आक्षेपित डिक्री से 1/3 हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जो निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया कि सहायक कलक्टर द्वारा पारित डिक्री प्राथमिक डिक्री थी न कि अन्तिम डिक्री थी जबकि अन्तिम डिक्री बनता अभी शेष है। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 ने रेस्पोन्डेन्टस के साथ मिली भगत कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 4 व 11 के पक्ष में आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकार करवा लिया है जो निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपीय नामान्तरकरण

Scanned by CamScanner

निरस्त किया जावे तथा उनके द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर अमल दरामद किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 को कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। रेस्पोन्डेन्टस विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार थे तथा विवादित भूमि उनकी पुश्तैनी भूमि है। उनके द्वारा सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पेश किया गया था तथा आदेशानुसार हिस्सा बराबर दावा डिक्री हुआ तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना में आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिसकी जानकारी स्वंय अपीलान्ट को भी उन्हें उसी समय कार्यवाही का विरोध करना चाहिये था। वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर के आदेश दिनांक 10.03.2008 को राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी, किन्तू अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जा चुकी है। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 के जवाबुलजवाब में वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर के वाद में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया तथा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर द्वारा उनकी अपील धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर निरस्त की गई है मेरिट पर निर्णित नहीं की गई है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर द्वारा निर्णित प्राथमिक डिक्री के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा यदि विवादित भूमि का क्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया गया है तो उन्हें अपने हक व अधिकारों हेतु सक्षम न्यायालय में जरिये वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। अपील के माध्यम से उन्हें इस न्यायालय द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक **05.02.2016** को मेरे द्वारा सरे इलियाज सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner